

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाऐ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल छतरपुर के वन परिशेन लौडी के वनखंड सिलपतपुरा ग्राम केशरीपुरा के खसरा नं. 179/2/1 एवं 180/1/1 के पी.एफ. 703 के रकबा 18.900 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में ग्रेनाइट खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन कार्य हेतु मेसर्स डी.जी. मिनरल्स प्रा.लि. भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	--

दिनांक: 15/04/19
स्थान: भोपाल


15/4/19
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
मध्यप्रदेश सरकार, वन विभाग

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)